न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 72/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. शंकरलाल पिता बद्रीलाल जी अहीर, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. अरूण कुमार पिता अर्जनलाल जी बोहरा महाजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सीताराम पिता मांगीलाल जी जाट, निवासी भाणसोल का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयप़ुर (नाम ड्रोप)
4. प्रेमलाल पिता मांगीलाल जी जाट, निवासी भाणसोल का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (नाम ड्रोप)

..................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 25.06.2018 प्र. सं. 60/12

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री एस. एल. लठ्ठा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री एस. एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———:::———

निर्णय दिनांक

24–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य

रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुरज में आराजी नंबर 1323 से 1325 कुल किता 3 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सीताराम व प्रेमलाल का 1/3 हिस्सा था, जिसे उन्होंने वादीगण को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। इसी प्रकार विक्रेतागण के भाई रोशनलाल का 1/6 हिस्सा था, जिसे विक्रेतागण के भाई रोशनलाल ने अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी शंकरलाल को विक्रय कर दिया। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि में बद्रीबाई ने अपना 1/2 हिस्सा शंकरलाल को विक्रय कर दिया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादी का 2/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी शंकरलाल का 4/6 हिस्सा होकर मौके पर इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। ग्राम पंचायत कुरज ने वादी के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण निरस्त कर दिया, क्योंकि कुरज सरपंच लक्ष्मणलाल प्रतिवादी शंकरलाल का सगा भाई है। अतः वादग्रस्त भूमियों का विभाजन कराया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा वादी के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को बनावटी व फर्जी होना बताते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रतिपवाद भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किया जा चुका है, जिसे स्वयं वादी ने अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है। विवादित भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिए बिना कब्जेयाबी का वाद लाये वादी प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल नहीं कर सकता। अतः प्रतिवादी का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम के खण्डन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रतिकूल

कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अतः प्रतिपवाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 25—06—2018 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकर विवादित भूमियों के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित करने के आदेश दिये, जिसस रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27—12—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 25—06—2018 को अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को 13—11—2018 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पयाप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, तद्नुसार अपीलान्टगण द्वारा जानकारी होने का जो कथन वर्णित किया गया है वह प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि पत्रावली दिनांक 23–04–2018 को प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत थी, जो दिनांक 23–07–2018 के लिए नियत की गयी, किन्तु बिना अपीलान्ट को सूचित किये पत्रावली दिनांक 27–04–2018 को रखी जाकर दिनांक 25–06–2018 को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की बिना साक्ष्य लिए निर्णय पारित कर दिया गया, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि विवादित भूमियों सीताराम व प्रेमलाल का 1/3 दर्ज होकर उनके द्वारा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10–10–2011 को किया गया है, जिसके आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनकी साक्ष्य बन्द की गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार निर्णय पारित किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–06–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका
जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....
....

शंकरलाल पिता बद्रीलाल जी अहीर, बनाम अरूण कुमार पिता अर्जुनलाल जी
निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, बोहरा महाजन, निवासी कुरज, तह. जिला राजसमन्द व अन्य रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.......72/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........रेलमगरा.......... मुकाम................मुवर्खे............25..............माह..............
06...........2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........24....माह........07.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी....श्री एस. एल. लढ्ठा ....मिनजानिब अपीलान्ट व......श्री एस. एस. पालीवाल.......

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–06–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........24......माह.......07... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।